समाहरणालय, कटिहार।

जिला निर्वाचन कार्यालय

पूनम, भा०प्र०से०
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह– जिला पदाधिकारी, कटिहार।
● :– +91–9473191375
E-mail-dm-katihar.bih@nic.in

निविदा सूचना

आगामी बिहार लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के लिए निर्वाचन कार्य में उपयोग की जाने वाली (I) मतदान/मतगणना सामग्री (II) लेखन सामग्री (III) टेन्ट शमियाना (IV) कम्प्यूटर /विडियोग्राफी/डिजिटल कैमरा/ Live Video Streaming/ GPRS enabled tracking unit (V) ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं (VI) भोजन सामग्री के क्रय/भाड़े पर आपूर्त्ति प्राप्त करने वाले सामग्रियों के दर निर्धारण के लिये दिनांक 21/2/19 के अपराह्न 3:00 बजे तक योग्य एवं अनुभवी निविदादाता से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा द्विलिफाफीय पद्धति में जमा किया जायेगा, जिसमें एक तकनीकी एवं दूसरा वित्तीय दर के लिये होगा । इसके लिये जिला निर्वाचन कार्यालय, कटिहार के स्तर से मदवार I, II, III, IV, V एवं VI प्रपत्र तैयार किया गया है। सभी निविदा से संबंधित मदवार प्रपत्र 1000/– (एक हजार रूपये) में जिला निर्वाचन कार्यालय, कटिहार के नजारत से पूर्वाह्न 10. 30 से अपराह्न 5.00 बजे तक निविदा अवधि में प्रत्येक कार्यदिवस में क्रय किया जा सकता है जिसकी राशि वापस नहीं की जायेगी। इच्छुक निविदादाता निम्न निर्धारित शर्तो के अनुरूप निर्धारित तिथि व समय तक जिला निर्वाचन कार्यालय, कटिहार में निविदा समर्पित कर सकते है ।

मदवार खरीदे गये मूल प्रपत्र में अंकित सामग्रियों/मदों के विरूद्ध अंकित दर अंक एवं अक्षर में पूर्णरूपेण भरकर तिथि सहित प्रतिष्ठान का पूरा नाम एवं पता के साथ हस्ताक्षर अंकित कर जमा किया जाना अनिवार्य होगा।(छाया प्रति या अन्य कोई प्रपत्र में अंकित दर स्वीकार नहीं होगा तथा अंकित दरो में कटिंग/ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा)

प्राप्त निविदा दिनांक 22/2/19 के अपराह्न 12.00 बजे जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, कटिहार की अध्यक्षता में गठित क्रयसमिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में खोली जायेगी जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

निविदा की सामान्य शर्त

1. कोई भी निविदा निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय के पश्चात स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
2. जिस निविदादाता का तकनीकी निविदा स्वीकृत योग्य पाया जायेगा उन्ही का वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

3. मदवार निविदा अलग–अलग लिफाफे में देनी होगी।

4. मदवार संबंधित सामग्री की सूची अवलोकन हेतु जिला के वेबसाइट www.katihar.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है, साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय, कटिहार से प्रत्येक कार्यदिवस में तथा कार्यालय अवधि में निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त मदवार सामग्री की सूची ही निविदा में मान्य होगा ।

5. सफल निविदादाता को कार्यादेश के पश्चात सभी संबंधित सामग्री जिला निर्वाचन कार्यालय/निर्धारित स्थल पर निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना होगा इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय अलग से देय नहीं होगा ।

6. निविदादाता द्वारा प्रदत्त सेवाओं से संबंधित उपलब्ध कराये गये विपत्रों का भूगतान आवंटन के उपलब्ध होने पर की जाएगी । विलम्ब के स्थिति में किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान (सूद) देय नहीं होगा ।

7. निविदाताओं के विपत्र भुगतान के समय नियमानुसार करो की अग्रिम कटौती करते हुए की जायेगी ।

8. एक व्यक्ति/फर्म एक से अधिक मदो के लिए निविदा दे सकते है, किन्तु क्रमांक (I) से (VI) मदों के लिये अलग–अलग सुरक्षित राशि जमा करनी होगी ।

9. निर्धारित न्यूनतम दर पर एक से अधिक सफल निविदादाताओं के साथ एकरारनामा तथा कार्य आवंटित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।

10. बिना कोई कारण बताये निविदा में संशोधन करने, स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को पूर्णतः सुरक्षित रहेगा ।

11. निविदा के साथ संलग्न सभी कागजातो का सभी पृष्ठ निविदादाता द्वारा स्वअभिप्रमाणित एवं पृष्ठाकिंत करना अनिवार्य होगा ।

12. निविदादाता जिसका निविदा/दर को स्वीकृत किया जाता है उन्हें एकरारनामा (Agrement) से पूर्व प्रत्येक मद के लिये 25,000.00 (पच्चीस हजार) रूपये सुरक्षित जमा के रूप में बैंक ड्राफ्ट/ बैंक गारंण्टी के रूप में देना होगा जिसकी शर्ते वित्तीय नियमों के अनुरूप एवं बाध्यकारी होगी ।

13. सामग्री आपूर्ति के समय लागू GST दर ही मान्य होगा ।

14. दर संविदा एक वर्ष तक मान्य रहेगा परन्तु इसपर Fall Clause के नियम लागू होगें।

15 निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य निष्पादित नहीं करने/आपूर्ति नहीं करने पर सुरक्षित जमा राशि जप्त कर लिया जायेगा तथा फर्म/प्रापराईटर पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।

16. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा व्यवहार न्यायालय कटिहार के क्षेत्राधिकार मे होगा ।

17. भाड़े पर आपूरित किये जाने वाले किसी भी सामग्री के टूट–फूट/क्षतिग्रस्त/खोने की स्थिति में सामग्री का एवं कार्यारत कर्मी के शारिरिक क्षति की सारी जवाबदेही निविदादाता की होगी ।

तकनीकी निविदा की शर्त

1) निविदा–दाता को आयकर से संबंधित पैन कार्ड तथा विगत तीन वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के आयकर विवरणी दाखिल करने का साक्ष्य संलग्न करना होगा ।

2) निविदादाता को माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (GST) के अन्तर्गत निबंधित होना अनिवार्य होगा तथा साक्ष्य स्वरूप GST स्थायी प्रमाण–पत्र तथा अद्यतन मासिक/त्रैमासिक विवरणी संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

3) निविदादाता को Shop & Establishment Act अथवा उद्योग विभाग से निबंधित रहना अनिवार्य होगा ।

4) निविदा के साथ मदवार प्रपत्र (I) से (III) के लिये अलग–अलग मो0 75000.00 (पचहत्तर हजार) रूपये एवं प्रपत्र (IV) से (VI) के लिये अलग–अलग मो0 20000.00 (बीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह– जिला पदाधिकारी, कटिहार के पदनाम से देय होगा अग्रधन राशि के रूप में तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा । किसी भी स्थिति में फार्म का चेक या नकद स्वीकार नहीं होगा।

5) निर्वाचन कार्य का अनुभव रखने वाले निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है ।

6) प्रपत्र I, II एवं III मद के लिये निविदा समर्पित करने वाले फर्म का गत वित्तीय वर्ष का Turn-Over 25,00,000.00 (पच्चीस लाख) का होना चाहिए जिसका Audited Balance Sheet जमा करना अनिवार्य होगा ।

7) विडियोग्राफी / डिजिटल फोटोग्राफी@ Live Video Streaming/ GPRS enabled tracking unit के लिए निविदा के साथ उपलब्ध कराने वाली सामग्री / क्षमता (प्रतिदिन व्यक्ति के साथ कैमरा) का उल्लेख करना होगा।

8) निविदादाता को बैंक खाता से संबंधित अद्यतन विवरणी संलग्न करना होगा ।

9) निविदादाता को इस आशय का स्वघोषित शपथ पत्र देना होगा की निविदा की सभी शर्ते मंजूर है ।

वित्तीय निविदा की शर्त

1) जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मदवार उपलब्ध कराये गये मूल सूची के क्रमानुसार ही संबंधित सामग्री का दर अंकित होगा एवं अंकित दर में सभी प्रकार का कर सम्मिलित रहेगा। निविदादाता द्वारा सामग्रीयों का दर रूपये में अंकित करना होगा । MRP शब्द मात्र (राशि रहित) अथवा सांकेतिक दर अंकित करने पर विचार नहीं किया जायेगा ।

2) सामग्री पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) राशि का सामग्री के अनुमोदित दर से कम रहने पर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) राशि के अनुसार ही भुगतान होगा ।

उप निर्वाचन पदाधिकारी
कटिहार
25/1/19

25/1/19

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
—सह—
जिला पदाधिकारी, कटिहार ।